**इडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर** प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

# आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 2 सितम्बर 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

**इस अंक में**

मौद्रिक नीति 2014-15 ----------1
मुख्य घटनाएं ---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन ----------4
वित्तीय समावेशन ----------4
बीमा / विदेशी मुद्रा --- ----------5
नयी नियुक्तियां ---------- 6
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 6
बासेल -III - पूंजी विनियमन---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

## भारतीय रिज़र्व बैंक की 3री द्विमासिक मौद्रिक नीति 5 अगस्त 2014

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 8% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) भी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) में 50 आधार अंकों की कमी करके उसे 9 अगस्त 2014 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी मांग एवं सावधि देयताओं के 22.5% के स्थान पर 22.0% कर दिया गया है।
- एक दिवसीय पुनर्खरीद के अधीन बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.25% पर चलनिधि तथा 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद के तहत बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75% तक की चलनिधि प्रदान की जाएगी।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 7.0% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 9.0% पर अपरिवर्तित रहेगी।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात में अंशांकित कमी के अनुरूप मुद्रा और ऋण बाज़ारों में चलनिधि बढ़ाना आवश्यक है, ताकि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ वित्तीय मध्यस्थीकरण के अंतराल में विस्तार हो सके। वर्तमान में बैंकों को परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में कुल निवेशों के 25% की सीमा का अतिक्रमण करने की अनुमति है, बशर्ते इस आधिक्य में केवल सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियां शामिल हों और परिपक्वता तक धारित श्रेणी में बैंक की सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियों की कुल धारिताएं दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी मांग एवं सावधि देयताओं के 24.5% से अधिक न हों। बैंकों को वित्तीय बाज़ारों में अधिक सहभागिता करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह उच्चतम सीमा 9 अगस्त, 2014 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से घटाकर निवल मांग एवं सावधि देयताओं की 24 प्रतिशत कर दी गई है।

## मुख्य घटनाएं

### बैंकों ने घटाई मुफ्त एटीएम भुगतानों की संख्या

छ: महानगरीय शहरों (यथा- मुंबई, नयी दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बेंगलूर और हैदाराबाद) में स्थित अन्य बैंकों के एटीएमों पर बचत बैंक खाते के ग्राहकों के लिए मुफ्त एटीएम लेनदेनों की संख्या (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों ही प्रकार के लेनदेनों सहित) 1 नवम्बर, 2014 से पांच से घटाकर प्रति माह तीन कर दी गई है। हालांकि, किसी बैंक को, यदि वह ऐसा चाहे तो अपने खाता धारकों को अन्य बैंकों के एटीएमों पर तीन से अधिक मुफ्त लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से कोई भी चीज़ रोकती नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी प्राप्ति केन्द्रों के साथ ही बैंकों को पड़ने वाली उनसे जुड़ी मूलभूत सुविधा की लागत तथा सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण एटीएमों के उपयोग और उनके उपयोग से सम्बन्धित अपने मौजूदा दिशानिदेशों को संशोधित करने का निर्णय किया है। बैंक अपने ग्राहकों से स्वयं अपने बैंक के एटीएमों से महीने में पांच से अधिक एटीएम लेनदेनों हेतु प्रभार वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं, यद्यपि इस मुद्दे के सम्बन्ध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू की जानी होगी।

## बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

### आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के लिए प्रतिभूति रसीदों में 15% का निवेश करना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) और प्रतिभूतिकरण कम्पनियों (SCs) से प्रतिभूति रसीदों (SRs) में अनिवार्य प्रारंभिक निवेश को पूर्ववर्ती 5% से बढ़ाकर 15% करने के लिए कहा है। यह व्यवस्था प्रत्येक योजना के तहत जारी सभी प्रतिभूति रसीदों के मोचित किए जाने तक निरंतर आधार पर जारी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने योजना अवधि की अपनी परिभाषा भी बदल दी है - अब आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को विक्रेता बैंक की अनर्जक आस्तियों (NPAs) की वसूली करने हेतु योजना तैयार करने के लिए (इसके पहले के 12 माह के बजाय) छ: माह से अनधिक की अवधि प्राप्त होगी।

### दीर्घावधि मूलभूत सुविधा ऋणों के पुनर्वित्तीयन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियम संशोधित किए

मौजूदा परियोजना ऋणों के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक इस प्रकार के ऋणों का पुनर्वित्तीयन अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ पूर्व-निर्धारित करार के बिना भी पूर्ण या आंशिक अंतरण (take-out) वित्तीयन के रूप में कर सकते हैं और अपेक्षाकृत लम्बी अवधि नियत कर सकते हैं तथा इसे निम्नलिखित शर्तों के पूरी किए जाने पर मौजूदा और उनके साथ ही अधिग्रहणकर्ता ऋणदाताओं की बहियों में पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा : (i) ऐसी परियोजना के प्रति सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये होना चाहिए; (ii) परियोजना को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने की तिथि (DCCO) प्राप्त होने के बाद वाणिज्यिक परिचालन आरंभ

करने वाली होना चाहिए; (iii) चुकौती अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र तथा उससे होने वाले नकदी प्रवाहों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए और मौजूदा एवं नये बैंकों के निदेशक मंडल को परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा, कुल चुकौती अवधि परियोजना के प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल / सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) वाली होने की स्थिति में रियायत अवधि के 85% से अधिक नहीं होनी चाहिए; (iv) पुनर्वित्तीयन करते समय इस प्रकार के ऋण मौजूदा बैंकों की बहियों में 'मानक' होने चाहिए; (v) आंशिक अंतरण वित्तपोषण के मामले में ऋण की एक महत्वपूर्ण रकम (मूल्य की दृष्टि से बकाया ऋण का न्यूनतम 25% ) मौजूदा वित्तपोषक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से नये ऋणदाताओं के समूह द्वारा अधिगृहीत की जानी चाहिए; और (vi) प्रवर्तकों को यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त इक्विटी लानी चाहिए, ताकि परियोजना ऋण के वर्तमान ऋण-इक्विटी अनुपात और ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात (DSCR) को बैंकों को स्वीकार्य बनाने हेतु ऋण को कम किया जा सके। उपर्युक्त सुविधा मौजूदा परियोजना ऋणों के जीवन काल के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगी।

## भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधक गारंटी कम्पनियों के लिए मानदंड सरल किए

उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों की पृष्ठभूमि में तथा बंधक गारंटी उद्योग के विकास से होने वाले दीर्घकालिक लाभकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधक गारंटी कम्पनियों ( MGC) के विवेकसंगत मानदंडों को सरल बना दिया है। बंधक गारंटी कम्पनी की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते समय बंधक गारंटी कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई बंधक गारंटियों को आकस्मिक देयता माना जाता है और अब तक लागू होने वाला ऋण परिवर्तन कारक 100% था। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसे घटाकर 50% कर दिया है। आकस्मिकता आरक्षित निधियां सृजित करते समय हानियों के लिए किए गए प्रावधानों के प्रीमियम अथवा वर्ष के दौरान अर्जित शुल्क के 35% से अधिक होने पर बंधक गारंटी कम्पनियों को आकस्मिकता आरक्षित निधियों में कमतर विनियोग का प्रावधान करने की अनुमति दी गई थी। उसने सृजित की जाने वाली आकस्मिकता निधियों के सुनिश्चित स्तर को नहीं विनिर्दिष्ट किया था। अब, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसी स्थिति में आकस्मिकता आरक्षित निधिया प्रीमियम अथवा अर्जित शुल्क का न्यूनतम 24% इसप्रकार हो सकती हैं कि हानियों और आकस्मिकता निधियों के लिए किए गए प्रावधान का योग प्रीमियम या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित शुल्क का कम से कम 60% हो। इसके अलावा, अब से कोई बधक गारंटी कम्पनी आकस्मिकता आरक्षित निधियों का उपयोग बंधक गारंटी धारकों द्वारा वहन की गई हानियों को पूरा करने और उनकी भरपाई करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कर सकेंगी। हालांकि, इस प्रकार के उपाय की शुरुआत हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए अन्य सभी अवसरों और विकल्पों के समाप्त हो जाने के बाद ही की जा सकती है।

## सम्पत्ति की खरीद हेत विदेशी विप्रेषणों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवासी भारतीयों की विदेशों में सम्पत्ति खरीदने हेतु धन भेजने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब, निवासी भारत से बाहर सम्पत्ति खरीदने हेतु प्रति वित्तीय वर्ष 1,25,000 अमरीकी डालर तक उक्त लेनदेन को रिपोर्ट करने की आवश्यकता के बिना भेज सकते हैं। विप्रेषण योजना को उदारीकृत करने के एक उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 जुलाई को निवासी व्यक्तियों के मामले में इस सीमा को 75,000 अमरीकी डालर से बढ़ा कर 1,25,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष कर दिया है। तदनुसार, उन बैंकों, जो विदेशी मुद्राओं का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत हैं, को चालू अथवा पूंजीगत खाते या दोनों के संयोजन वाले लेनदेनों के मामले में प्रति वित्त वर्ष 1,25,000 अमरीकी डालर भेजने की अनुमति है।

## शेयरों के समक्ष उधार देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए नये दिशानिर्देश

वर्तमान में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां या तो उनके पक्ष में शेयरों की गिरवी, शेयरों के अंतरण द्वारा या फिर उधारकर्ताओं के डिमैट खाते के सम्बन्ध में मुख्तारनामा प्राप्त करके उधार देती हैं। शेयरों पर मुद्रा उधार दिए जाने की रीति और उद्देश्य चाहे जो भी क्यों न हो, उधारकर्ताओं द्वारा चूक का परिणाम गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा बाज़ार में शेयरों के निष्कासन के रूप में सामने आता है, जिससे बाज़ार में परिहार्य अस्थिरता पैदा होती है। इससे जुड़ी चिंता के कुछेक अन्य क्षेत्र हैं शेयर बाज़ारों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा गिरवी के रूप में रखे गए शेयरों, बाज़ार की संभाव्य अति तीव्रता, गैर-वित्तीय बैंकिंग कम्पनियों द्वारा कुछेक शेयरों के प्रति अधिक एक्सपोजर तथा उधारकर्ताओं को अधिक विशेष सुविधा के बारे में पूर्व सूचना का अभाव। बाज़ार की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से मूल्य की तुलना में ऋण का 50% अनुपात बनाए रखने के लिए कहते हुए उनके द्वारा शेयरों के समक्ष उधार दिए जाने से सम्बन्धित मानदंडों को कठोर बना दिया है। इसके अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां 5 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले ऋणों के मामले में केवल समूह 1 वाली प्रतिभूतियों के समक्ष ही उधार दे सकती हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक पूंजी बाज़ारों की उस अस्थिरता को नियंत्रित करना चाहता है, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा शेयरों की अचानक बिक्री से पैदा होती है। इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को उधारकर्ताओं द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु उनके पक्ष में गिरवी रखे गए शेयरों से सम्बन्धित सूचना शेयर बाज़ारों को देनी होगी।

## भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के मानदंड सरलीकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) मानदंडों को सरल बना दिया है और कम्पनियों को जहां औसत परिपक्वता अवधि (AMP) स्वत: मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार की अवशिष्ट परिपक्वता से अधिक हो, वहां कुछेक शर्तों के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से नयी निधियां जुटाने की अनुमति भी दे दी है। कम्पनी को कुछेक शर्तें पूरी करनी होंगी, यथा- नये बाह्य वाणिज्यिक उधार की समस्त लागत मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की समस्त लागत से हर हाल में कम होनी

चाहिए; मौजूदा ऋणदाता की सहमति अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, पुनर्वित्तीयन का कार्य मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता से पहले अवश्य आरंभ हो जाना चाहिए और उधारकर्ता को आवश्यक रूप से न तो भारतीय रिज़र्व बैंक की चूककर्ता सूची में शामिल होना चाहिए और न ही प्रवर्तन निदेशालय (DoE) की जांच-पड़ताल के अधीन होना चाहिए।

# बैंकिंग जगत की घटनाएं

## इरादतन चूककर्ताओं पर ध्यान केन्द्रित होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में अपेक्षाकृत कठोर दिशानिर्देशों के साथ यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पूंजी बाज़ार जैसे अन्य स्रोतों से निधियां न प्राप्त कर सकें गुमराह उधारकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करना चाहता है। शीर्ष बैंक सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की परिभाषा को भी संशोधित करेगा। इसके पीछे निहित विचार यह सुनिश्चित करना है कि कानून द्वारा यह व्यवस्था कर दिए जाने पर कि उन्हें भुगतान करना चाहिए प्रवर्तक भुगतानों को रोक कर न रखें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने संभाव्य अशोध्य ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों को सावधान करने हेतु पहले से ही एक व्यवस्था लागू कर रखी है। बैंकों को उनकी प्रणाली को निपुण बनाने तथा अंकड़ों को परितुलित करने की सलाह दी गई है, ताकि वे कठिनाई का शुरुआत में ही पता लगाने में समर्थ हों। इरादतन चूककर्ता बह होता है जिसने चुकौती से सम्बन्धित दायित्व को पूरा करने की क्षमता रखने के बावजूद वैसा नहीं किया है या ऋणदाता से ली गई धनराशि का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया है जिनके लिए वित्त प्राप्त किया गया था, अपितु निधियों को अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित कर दिया है। □हां ऋॅण की बकाया राशि 25 लाख रुपये और उससे अधिक हो, वहां बैंकों को इरादतन चूकों वाले मामलों की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को अवश्य देनी चाहिए।

## सांविधिक चलनिधि अनुपात में कटौती लोच प्रदान करेगी; सस्ते ऋण नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) को 50 आधार अंकों की कटौती के साथ 22% किए जाने का उद्देश्य ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी होने पर बैंकों के तुलनपत्र को अधिक लचीलापन प्रदान करना है। इसकी परिणति सस्ते ऋणों में नहीं हो सकती। सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी कम्पनियों को बैंकों से अधिक निधियां जारी किए जाने हेतु थी। यदि सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है तथा सरकार राजकोषीय समेकन वाले मोड में आ जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की फर्मों की सरकारी वित्तीयन तक पहुंच को उदार बनाने में सक्षम हो सकता है। उन्हें इस समय इसकी जरूरत नहीं हो सकती, किन्तु ऋण में जैसे-□से वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे सुदृढ़ होगी, वैसे-वैसे बैंक निधियों का उपयोग अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने हेतु करने में समर्थ होंगे।

## भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली के सम्बन्ध में दिशानिर्देशों का प्रारूप प्रस्तुत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया है कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) देश की बिल भुगतान प्रणाली को परिचालित करने हेतु एक स्तरित ढांचे के रूप में कार्य करेगी। यह उपभोक्ताओं को 'सर्वदा- सर्वत्र भुगतान' प्रदान करने की एकल ब्रॉण्ड छवि वाली होगी। भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) एजेन्टों के एक नेटवर्क के माध्यम से बहुविध भुगतान मोडों कों समर्थ बनाते हुए तथा भुगतान की तुरंत पुष्टि करते हुए अंतर-परिचालनीय एवं अभिगम्य सेवाएं प्रदान करेगी।

## बैंक उपभोक्ताओं को ई-वाणि□ रीति से रि□ रहे हैं

न केवल खुदरा व्यापारी, अपितु बैंक भी ई-वाणिज्य लहर का फायदा उठा रहे हैं। ग्राहकों को ऑनलांइन सौदे और छूटें प्रदान की जा रही हैं। निजी क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनन्य रूप से ई- वाणिज्य साइटों की शुरुआत कर रहे हैं या बेहतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के साथ अधिक गठजोड़ व्यवस्था कर रहे हैं। इन दिनों लोग अधिकाधिक रूप से ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं- यह खरीदारी करने का एक सुविधाजनक तरीका है तथा तुलना करने की सहूलियत भी प्रदान करती है। इसप्रकार, यह ग्राहकों को आकर्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है।

## गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ब्याज दर फ्यूचर्स कारबार में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में ब्याज दर भावी सौदों (फ्यूचर्स) में भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के दिशानिर्देशों की शर्त पर व्यापारिक सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके पूर्व वे केवल ग्राहकों के रूप में ही सहभागिता करने में समर्थ थे। ब्याज दर भावी सौदा (फ्यूचर्स) बाज़ार में विदेशी मुद्रा खरीदने-बेचने की स्थिति (Position) सीमाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अध्ययीन हैं।

## भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगभग सम्पूर्ण अधिशेष अंतरित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधि में विनियोजन के बाद अवशिष्ट अधिशेष देने की सामान्य प्रथा के समक्ष 2013-14 का लगभग सम्पूर्ण अधिशेष सरकार को अंतरित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के बोर्ड ने 2013-14 के 52,679 करोड़ रुपये के अधिशेष,के अंतरण को अनुमोदित किया, जो सरकार को दिया जाने वाला अब तक का सर्वाधिक अधिशेष है। यह पिछले वर्ष अंतरित किए गए अधिशेष से 60% अधिक था। वर्ष 1012-13 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सृजित अधिशेष 61,804 करोड़ रुपये अर्थात् पिछले वर्ष के स्तर से 43.6% था। उसमें से 33,010 करोड़ रुपये सरकार को अधिशेष के रूप में अंतरित किए गए थे।

### भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक ऋण प्रबन्धन योजना पर विचार

भारतीय रिज़र्व बैंक एक व्यापक ऋण प्रबन्धन रणनीति लागू किए जाने पर विचार कर रहा है। वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसके मुख्य अंग होंगे- सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथा और विविध प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु परिपक्वताओं में विस्तारं। ध्यान का केन्द्र होगा लोक ऋण का समेकन तथा सक्रिय नियंत्रण / वापसी खरीद परिचालनों के माध्यम से आवर्ती जोखिम में कमी लाना। भारतीय रिज़र्व बैंक की मान्यता यह है कि सरकार के 6 लाख करोड़ रुपये के बाज़ार उधार कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सॉवरेन ऋण बाज़ारो को राजकोषीय नीतियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हो जाती है और इसके पिछले जमा स्टॉक वाले (spill-over) प्रभाव होंगे। अपेक्षाकृत अधिक गहन, व्यापक, अधिक अनिरुद्ध (liquid) एवं कुशल वित्तीय बाज़ार वृद्धि को सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रक्रिया को अधिक कार्य-कुशल एवं पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाज़ारों में सुधार आरंभ करने, व्युत्पन्नियों (derivatives) के काउंटर पर (OIC) क्रय-विक्रय की रिपोजिटरी स्थापित करने तथा ऋण प्रबन्धन रणनीति को सहायता प्रदान करने हेतु कतिपय अन्य उपाय करने की तैयारी कर रहा है।

### चार्टर प्रारूप से गलत बिक्री हतोत्साहित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय ग्राहकों के संरक्षण को उनके अधिकारों और वित्तीय सेवा प्रदाता के उत्तरदायित्व को सुस्पष्ट करते हुए सुदृढ़ कर दिया है। 22 अगस्त, 2014 को जारी ग्राहकों के अधिकारों के चार्टर प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पांच मूल अधिकारों की पहचान की है, यथा- उचित व्यवहार का अधिकार, पारदर्शिता का अधिकार, उचित एवं ईमानदार लेनदेन, उपयुक्तता का अधिकार, निजता का अधिकार, परिवाद निवारण का अधिकार एवं ग्राहकों को प्रतिकर (मुआवज़ा)। उसने ऋणदाताओं को उत्पादों की गलत बिक्री करने से भी हतोत्साहित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त चार्टर का मसौदा उपभोक्ता संरक्षण की उत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाते हुए तैयार किया है। प्रदान किए जाने वाले उत्पाद ग्राहक की जरूरतों की दृष्टि से अनुकूल तथा ग्राहक की वित्तीय परिस्थितियों एवं समझ के अनुरूप होने चाहिए। उक्त प्रारूप में वित्तीय सेवा प्रदाता के उत्तरदायित्वों का भी वर्णन किया गया है।

## विनियामकों के कथन

### भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में खुदरा सहभागिता का इच्छुक

भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी बॉण्ड बाज़ार में खुदरा सहभागिता की आशा किए हुए है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि "बॉण्डों के प्रत्येक खरीदार का विदेशी निवेशक होना जरूरी नहीं है। भारतीय बाज़ारों का जैसे-जैसे विकास होगा वैसे-वैसे अधिक घरेलू संस्थागत निवेशक ,

पेंशन निधियां और बीमा कम्पनियां अपनी निधियों को भारतीय बॉण्ड बाज़ार में अभिनियोजित करना चाहेंगी। हमें इस बाज़ार में भारतीय खुदरा निवेशकों की पहुंच को आसान बनाना होगा।",

**संपदा गतिविधि के बिना आस्ति की कीमतों में वृद्धि एक चिंता**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है कि आस्ति की कीमत में वृद्धि के साथ विविध राष्ट्रों में संपदा गतिविधियों में वृद्धि नहीं हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने यह चेतावनी दी है कि "यदि आस्ति की कीमतों में तीव्र रूप से क्षरण होता है तो उससे अपरिमित अस्थिरता पैदा होगी। विशेषत: औद्योगिक देशों वाले हम केन्द्रीय बैंकर, अत्यधिक कठिन प्रयास कर रहे हैं। भारत की परीक्षा तब होगी जब अमेरिका ब्याज दरों को बढ़ाना आरंभ करेगा। मुझे आशा है कि हमने अपनी स्थूल-आर्थिक बुनियादों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर लिया है; पूंजी प्रवाहों को सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया है; और प्रारक्षित निधियां जमा कर ली है, ताकि अस्थिरता हमें पिछले वर्ष के जितना न प्रभावित कर सके।"

**भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकों को सलाह : गृह ऋणों में नवोन्मेष लाएं**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से आह्वान किया है कि वे गृह ऋणों को जमाराशियों से जोड़कर गृह ऋण उत्पादों में अधिक वित्तीय नवोन्मेष लाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के अनुसार बचतों की शेषराशयिां सृजित करने हेतु बचतों को मासिक या आवधिक जमाराशियों के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भावी गृह ऋण उत्पादों के लिए पिछले रिकार्ड का काम करेगा और इसके एक निश्चित शेषराशि तक पहुंचने पर वित्तीय संस्था खाते में शेष राशि के संपार्श्विक के रूप में काम आने के साथ गृह ऋण स्वीकृत करने पर विचार कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वहनीय आवास की परिभाषा की आवधिक आधार पर समीक्षा भी करेगा।

## वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक को विश्वास है कि 15 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वित्तीय समावशेन अभियान गरीब खण्डों की सेवा में सुधार लाएगा। उक्त अभियान में गरीबों की पहचान करने, विशिष्ट जीवसाख्यिकीय अभिज्ञापकों के सृजन और अंतत: सरकारी आर्थिक सहायताओं को इन खातों में अंतरित करने का समावेश किए जाने की संभावना है। इस अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक समर्थकारी की भूमिका निभाएगा तथा वित्तीय जरूरतों को पूरी करने हेतु बैंकों को सभी मूलभूत उत्पाद प्रदान करने हेतु अभिप्रेरित करेगा। नकदी-लाभ/प्रसुविधा अंतरणें पर बल दिया जाएगा, क्योंकि मुद्रा

मुक्त करती है और सशक्त बनाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि के पुन:परीक्षण और सरलीकरण पर भी विचार कर रहा है।

### वित्तीय समावेशन पोंजी योजनाओं को नियंत्रित कर सकता है

सारदा की भांति पोंजी योजना परिचालकों के पुनरावर्तन को रोकने के एक प्रयास में राज्यों के सचिवों और वित्तीय विनियामकों के एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (SLCCs) को जनता की बचतों के औपचारिक चैनल को प्रवाह तथा उस जनता की जमाराशियों के संरक्षण के लिए, जो अन्यथा अनधिकृत और बेईमान कम्पनियों / संस्थाओं द्वारा लुभा ली □ाती है वित्तीय समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। राज्यों के सचिव संदेहास्पद कम्पनियों / संस्थाओं से सम्बन्धित घटनाओं, उत्तम प्रथाओं तथा सूचनाओं में हिस्सेदारी करने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के लिए एक समर्पित वेब-साइट विकसित करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने इस खतरे को रोकने हेतु आर्थिक अपराध स्कंध अऔर साइबर कक्षों को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री यू.के. सिन्हा ने यह सुझाव दिया था कि राज्यों को जमाकर्ता -निवेशक संरक्षण अधिनियम अधिनियमित करना चाहिए तथा प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

### सरकार के वित्तीय समावेशन मिशन में सभी क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को शामिल किया जाएगा

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ मिल कर वित्तीय समावेशन मिशन की एक रूपरेखा तैयार की है। उसका ध्येय एक वर्ष में 7.5 करोड़ बैंक खाते खोलना है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1.5 करोड़ तथा शेष ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार शामिल होंगे। वर्तमान में जनसंख्या के लगभग 41% लोगों के पास किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधा नहीं है। नया कार्यक्रम परिवारों को अन्य सुविधाओं के साथ ही बचत, ऋण, विप्रेषण, बीमा एवं पेंशन की सुविधाएं प्रदान करेगा। सरकार का ध्येय प्रत्येक गांव में यथोचित दूरी के भीतर बैंकिंग सुविधा की व्यवस्था करना और एक वर्ष की समयावधि के भीतर प्रत्येक परिवार कम से कम एक बैंक खाते की व्यवस्था करना है।

## बीमा

### इर्डा ने साझे सेवा केन्द्र के माध्यम से बीमा सेवाओं की शुरुआत की

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने एक साझे सेवा केन्द्र (CSC) के माध्यम से बीमा बिक्री और सेवा की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना (NeGP) के तहत स्थापित साझा सेवा केन्द्र से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को सामाजिक एवं वाणिज्यिक ध्येयों को एकीकृत करने तथा सूचना एवं वाणिज्यिक साधनों (ICT) को देश के सर्वाधिक दूर-दराज वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफार्म सुगम बनाने की परिकल्पना

की गई है। 2013 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमे की पैठ को प्रोत्साहित करने हेतु भारत में साझा सेवा केन्द्र नेटवर्क का उपयोग करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे।

## बीमाकर्ताओं को एडीबी और आईएफसी के तटवर्ती रुपया बॉण्डों में निवेश की अनुमति

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा कम्पनियों को विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं एशियाई विकास बैंक (ADB) और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के तटवर्ती रुपया बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति दे दी है। आगामी दस वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) रुपया बॉण्डों के माध्यम से 5 बिलियन अमरीकी डालर जुटाना चाहता है। प्राप्त राशियों का उपयोग भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) की उन परियोजनाओं का निधीयन करने हेतु किया जाएगा जिनके लिए रुपया वित्तीयन की जरूरत है। ये बॉण्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विहित रूप से अनुमोदित होंगे। इसके अलावा इन बॉण्डों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के समय-समय पर यथा संशोधित निवेश विनियमों द्वारा यथा-निर्धारित निवेशों के लिए यथा-अनुमोदित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इस घटना की अनुमति इस तथ्य की पृष्ठभूमि में दी है कि केन्द्र के पास एशियाई विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा तटवर्ती रुपया बॉण्ड प्रतिभूतियों के रूप में मौजूद हैं।

## मोटर बीमा पॉलिसी 3 वर्ष के लिए

बीमाकर्ताओं को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की अनुमति के बाद अब दुपहिया वाहनों के मालिक 3 वर्ष के लिए अन्य पक्ष की मोटर बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। वर्तमान में भारत में निजी कारों और दुपहिया वाहनों के लिए मोटर बीमा पॉलिसियां वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाती हैं । मोटर बीमा पॉलिसी व्यक्ति की स्वयं अपनी और अन्य पक्ष की सम्पत्ति या उसके जीवन की क्षति को रक्षित करती है। वाहन मालिकों को एकल आधार (स्टैंड एलोन) अन्य पक्ष, जो कानूनी तौर पर अनिवार्य है और एक व्यापक बीमा सुरक्षा के बीच चयन करने का विकल्प प्राप्त होता है। विभिन्न बीमा कम्पनियों से अनुरोध के बाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने दीर्घकालीन मोटर बीमा उत्पादों की शुरुआत को अनुमोदित कर दिया है। 3 वर्ष के लिए मोटर बीमा संविदा हेतु बीमाकर्ताओं द्वारा वसूल किया जाने वाली प्रीमियम दुपहिया वाहनों के लिए वार्षिक अन्य पक्ष मोटर बीमा बीमा प्रीमियम का तीन गुना होगा। बीमाकर्ता सम्पूर्ण क्षति वाले मामलों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में अन्य पक्ष बीमा सुरक्षा को निरस्त करने में भी समर्थ नहीं होंगे।

## अदावीकृत बीमे की रकमें बीमाकर्ता की वेबसाइट पर दिखाई जाएंगी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सभी बीमाकर्ताओं से 1,000 रुपये से अधिक की

किसी भी अदावीकृत रकम को उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित करने हेतु कहा है। अदावीकृत रकमें वे रकमें होती हैं जो बीमाकर्ता के पास निपटारे की तिथि से 6 माह से अधिक समय तक पड़ी रहती हैं। इनमें पॉलिसी धारक को मृत्यु / परिपक्वता , प्रीमियम की वापसी, उत्तरजीविता लाभों तथा असमायोजित प्रीमियम जमा के रूप में चुकौती योग्य रकमें शामिल होती हैं। इससे पॉलिसी धारक / कों अथवा उसके आश्रितों को वेबसाइट से यह पता लगाने में सुविधा होगी कि उन्हें देय कोई अदावीकृत रकम बीमाकर्ता के पास पड़ी है या नहीं। बीमाकर्ताओं को उक्त सूचना जनवरी 2015 तक अपलोड करनी होगी तथा उनके लिए उसे अर्ध-वार्षिक आधार पर अद्यतन करना भी आवश्यक होगा।

# विदेशी मुद्रा

## विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां अब तक के सर्वोच्च स्तर के करीब

भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2 सितम्बर, 2011 के दिन, जब वे 320.79 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई थीं, अब तक के सर्वोच्च स्तर से 23 मिलियन अमरीकी डालर दूर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डालर की भारी खरीद की पृष्ठभूमि में उन्नत मनोभावों के कारण 25 जुलाई, 2014 को विदेशी निवेशों की बाढ़ के कारण प्रारक्षित निधियां 320.56 बिलियन अमरीकी डालर थीं - एक सप्ताह में 27 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाती हैं। विदेशी मुद्रा वाली आस्तियों में उतार-चढ़ाव मुख्यत: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में विदेशी मुद्रा की खरीदियों एवं बिक्रियों, प्रारक्षित निधियों के अभिनियोजन से होने वाली आय, केन्द्रीय सरकार को विदेशों से सहायता की प्राप्ति और आस्तियों के पुनर्मूल्यन के प्रभावों के कारण होते हैं।

**सितम्बर, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें**

| विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | लिबोर | अदला-बदली | | | |
| मुद्रा | 1 वर्ष | 2 वर्ष | 3 वर्ष | 4 वर्ष | 5 वर्ष |
| अमरीकी डालर | 0.33900 | 0.712 | 1.135 | 1.503 | 1.768 |
| जीबीपी | 0.80260 | 1.2370. | 1.5400 | 1.7600 | 1.9220 |
| यूरो | 0.27100 | 0.292 | 0.341 | 0.404 | 0.509 |
| जापानी येन | 0.18750 | 0.189 | 0.199 | 0.225 | 0.265 |
| कनाडाई डालर | 1.47000 | 1.427 | 1.589 | 1.746 | 1.885 |
| आस्ट्रेलियाई डालर | 2.64500 | 2.717 | 2.855 | 3.078 | 3.217 |
| स्विस फ्रैंक | 0.07750 | 0.068 | 0.095 | 0.160 | 0.255 |
| डैनिश क्रोन | 0.55100 | 0.5768 | 0.6510 | 0.7300 | 0.8300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यूजीलैंड डालर | 3.87750 | 4.095 | 4.223 | 4.310 | 4.380 |
| स्वीडिश क्रोन | 0.474000 | 0.555 | 0.669 | 0.885 | 1.001 |
| सिंगापुर डालर | 0.38000 | 0.690 | 1.080 | 1.423 | 1.682 |
| हांगकांग डालर | 0.45000 | 0.800 | 1.200 | 1.520 | 1.770 |
| एमवाईआर | 3.80000 | 3.840 | 3.920 | 4.000 | 4.060 |

स्रोत : www.fedai.org.in

**विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां**

| **मद** | **22 अगस्त, 2014 के दिन** | **22 अगस्त, 2014 के दिन** |
|---|---|---|
| | **बिलियन रुपये** | **मिलियन अमरीकी डालर** |
| | **1** | **2** |
| कुल प्रारक्षित निधियां | 19, 313.9 | 318, 579.8 |
| क) विदेशी मुद्रा आस्तियां | 17, 670.4 | 2 91,318. 2 |
| ख) सोना | 1, 275.6 | 21 ,173. 8 |
| ग) विशेष आहरण अधिकार | 265.7 | 4, 396.5 |
| घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति | 102.2 | 1 ,691.3 |

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

# नयी नियुक्तियां

| **नाम** | **पदनाम / संगठन** |
|---|---|
| श्री टी.एम. भसीन | अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (IBA) |
| सुश्री एस.एम. स्वाती | कार्यपालक निदेशक, भारतीय महिला बैंक |
| श्री आर. अमलोर्पवंतन | उप प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) |
| श्री एन.आर. दवे | उप प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) |
| सुश्री राधा सिंह | गैर-कार्यपालक अध्यक्षा येस बैंक . |

# उत्पाद एवं गठजोड़

| संगठन | जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ | उद्देश्य |
|---|---|---|
| डीबीएस बैंक | रॉयल सुंदरम एलाएंस इंश्योरेंस | बैंक के ग्रहकों को सामान्य बीमा उत्पादों का वितरण |
| इंडसइंड बैंक लिमिटेड | जेट एअरवेज | वाहक की निष्ठा के तहत प्रसुविधाओं का गुच्छ प्रदान करने वाला सह-ब्रॉण्डयुक्त क्रेडिट कार्ड |
| भारतीय स्टेट बैंक | एनसीडीएक्स हाि□र शेयर बाज़ार | गोदाम रसीदों की प्रतिभूति के समक्ष किसानों को उधार देना |
| दि कर्नाटका बैंक लिमिटेड | नेशनल बल्क हैंडलिंग कार्पोरेशन | किसानों को भण्डारण सुविधा और गोदाम रसीदों के समक्ष वित्त प्रदान करना |
| कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | देशपांडे फाउंडेशन | ड्राइविग के लिए सहायता व्यवस्था करना तथा कृषि एवं कृषीतर आधारित उद्यमियों को सुदृढ़ बनाना |

## बासेल III - पूंजी विनियमन (□ारी----)

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए संस्थान निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन करता है :

**विदेशी मुद्रा जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का माप**

प्रत्येक मुद्रा में बैंक की निवल प्रारंभिक स्थिति की गणना निम्नलिखित का योग निकाल कर की जाएगी :

क) निवल हाजिर क्रय-विक्रय की स्थिति (अर्थात् आस्ति की सभी मदें घटाएं संदर्भाधीन मुद्रा में मूल्यवर्गित उपचित ब्याज,सहित देयता की सभी मदें);

ख) निवल वायदा क्रय-विक्रय की स्थिति (अर्थात् प्राप्त होने वाली सभी रकमें घटाएं हाि□र क्रय-विक्रय की स्थिति में शामिल न की गई मुद्रा भावी सौदों (फ्यूचर्स) तथा मुद्रा अदला-बदली से सम्बन्धित मूलधन सहित वायदा विदेशी मुद्रा लेनदेनों के तहत भुगतान की जाने वाली सभी रकमें);

ग) गारंटियां (और उनके जैसे ही लिखत, जिनका मांगा जाना निश्चित है तथा जिके वसूलीयोग्य होने की संभावना है;

घ) अभी तक उपचित न हुई/हुए किन्तु पहले से ही पूर्णत: प्रतिरक्षित निवल भावी आय / व्यय (रिपोर्टिंग बैंक के विवेक पर)

ङ) विभिन्न देशों में विशिष्ट लेखांकन परंपरा के आधार पर विदेशी मुद्राओं में लाभ या हानि का

निरूपण करने कोई भी अन्य मद;
च) विदेशी मुद्रा विकल्पों की कुल बुक के समतुल्य डेल्टा-आधारित निवल;
विदेशी मुद्रा और सोने, दोनों की प्रारंभिक स्थितियां वर्तमान में 100% की दर पर जोखिम-भारित की जाती हैं तथा विदेशी मुद्रा और सोने में जोखिम स्थिति के सम्बन्ध में बाज़ार जोखिमों हेतु पूंजीगत प्रभार 9% है। इन जोखिम स्थितियों, सीमाओं या वास्तविक, इनमें जो भी अधिक हो, पर 9% की दर से पूंजीगत प्रभार लागू होगा। यह पूंजीगत प्रभार विदेशी मुद्रा और और सोने के लेनदेनों से सम्बन्धित तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्र बाह्य मदों पर ऋण जोखिम हु पूंजीगत प्रभार के अलावा है।
व्यापार बही में ऋण चुक अदला-बदली (CDS) के लिए पूंजीगत प्रभार, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम हेतु पूंजीगर प्रभार, ऋण चूक अदला-बदली में संपार्श्वीकृत लेनदेनों के लिए प्रतिपक्ष जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का माप, बाज़ार जोखिमों हेतु पूंजीगत प्रभार का समुच्चय, निरुद्ध (illiquid) स्थितयों का विवेचन, मूल्यांकन के तौर-तरीके आदि की विस्तृत जानकारी संदर्भ हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दी गई है।

## वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

### आस्ति पर प्रतिलाभ (ROA) - कर पश्चात्

आस्ति पर प्रतिलाभ (ROA) एक ऐसा लाभप्रदता अनुपात है जिससे कुल आस्तियों पर सृजित निवल लाभ (निवल आय) का संकेत प्राप्त होता है। यह निवल आय को समग्र कुल आस्तियों से विभाजित करके परिकलित किया जाता है। सूत्र - (कर-पश्चात लाभ / औसत कुल आस्तियां)* 100

### इक्विटी पर प्रतिलाभ (ROA) - कर पश्चात्

इक्विटी पर प्रतिलाभ (ROE) शेयरधारकों की इक्विटी पर निवल लाभ (निवल आय) से सम्बन्धित एक अनुपात है। यहां इक्विटी से आशय है शेयर पूंजी की आरक्षित निधियां और बैंक का अधिशेष। सूत्र - [कर पश्चात् लाभ / कुल इक्विटी + पिछले वर्ष के अंत में कुल इक्विटी /2] * 100
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

## शब्दावली

### बंधक गारंटी कम्पनियां (MGC)

बंधक गारंटी कम्पनी से अभिप्राय है एक ऐसी कम्पनी जो मूल रूप से बंधक गारंटी प्रदान करने का व्यवसाय करती है। किसी बंधक गारंटी कम्पनी को बंधक गारंटी प्रदान करने का व्यवसाय (क)

भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रणाणपत्र प्राप्त करने के बाद और (ख) एक सौ करोड़ रुपये अथवा ऐसी उच्चतर रकम जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, की निवल स्वाधिकृत निधियां रखने बाद ही प्रारंभ या संचालित करना चाहिए। प्रत्येक बंधक गारंटी कम्पनी को पंजीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ऐसे फार्म में आवेदन करना चाहिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जाए।

## संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

### सितम्बर, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

| क्रम सं. | कार्यक्रम | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | विपणन एवं ग्राहक देखरेख पर 6ठा कार्यक्रम | 16 से 20 सितम्बर, 2014 तक |
| 2 | सहकारी बैंकों के लिए खज़ाना प्रबन्धन पर कार्यक्रम | 22 से 24 सितम्बर, 2014 तक |

# संस्थान समाचार

### वार्षिक साधारण सभा

87वीं वार्षिक साधारण सभा 15 सितम्बर, 2014 को सायं 4.00 बजे आईआईबीएफ सभागृह, इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस 19 वीं मंजिल, एफ विंग, मेकर टॉवर्स, कफ परेड, मुंबई -400 005 में आयोजित होगी।

### बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ का सम्मेलन 2014

25 सितम्बर, 2014 को आयोजित होने वाले 'बैंकों में प्रतिभा प्रबन्धन' पर केन्द्रित बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ ( APABI) के सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2014 के लिए सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान डॉ. चिप क्लियरी, परामर्शदाता, टैलेन्ट मैनेजमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 25 सितम्बर 2014 को बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ ( APABI) सम्मेलन के बाद सायं 6 बजे दिया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

### उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम

संस्थान ने 3रे उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के लीडरशिप सेन्टर, कुर्ला, मुंबई में में आयोजन की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

## नये पाठ्यक्रम की शुरुआत

संस्थान प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम की शुरुआत 15 सितम्बर, 2014 को करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

## दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

## संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। (अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. )

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत *
डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित- प्रेषण तिथि पत्येक माह की 25वीं से 30वीं तक - मुंबई पत्रिका चेलन कार्यालय, मुंबई में प्रेषिथ - डब्ल्यूवीपी लाइसेंस सं. एमआर/टेक/डब्ल्यूपीपी -62 एनई/2013-15 - पूर्व-भुगतान के बिना प्रेषण। लाइसेंस

---

## ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

## नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

## बाज़ार की खबरें
## भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.00
5.50
5.00

02/08/14 04/08/14 06/08/14 07/08/14 09/08/14 11/08/14 13/08/14 14/08/14
192/07/14 23/08/14 25/08/14 27/08/14 28/08/14

**स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अगस्त, 2014**

## भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

115.00
105.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00

01/08/14 04/08/14 05/08/14 11/08/14 13/08/14 19/08/14 22/08/14 26/08/14

28/08/14

| अमरीकी डालर | यूरो | 100 जापानी येन | पौंड स्टर्लिंग |
|---|---|---|---|

**स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)**

## बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

27000
26500
26000
25500
25000
25400
24500

01/08/14 05/08/14 07/08/14 12/08/14 14/08/14 19/08/14 20 /08/14 26/ 08/14 27/08/14 28/08/14

**स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)**

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
**संपादक : डॉ. आर. भास्करन**

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

# आईआईबीएफ विज़न सितम्बर, 2014